UPAU010017562025

Presented on : 10-04-2025
Registered on : 10-04-2025
Decided on : 19-03-2026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश / एफ.टी.सी.–प्रथम,
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध) औरैया।
पीठासीन अधिकारी–अतीक उद्दीन (एच0जे0एस0)
सत्र परीक्षण संख्या–456 / 2025 (लीडिंग पत्रावली)

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजन पक्ष।

प्रति

1–निशान्त उर्फ नीशू पुत्र पदम चन्द्र,
2–पदमचन्द्र जैन पुत्र चन्द्रसेन जैन,
निवासीगण मोहल्ला राणानगर, दिबियापुर, थाना–दिबियापुर, जिला–औरैया।

..... अभियुक्तगण।

मु0अ0सं0–851 / 2024,
धारा–85,80 बी.एन.एस.
व धारा–3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधि0
एवं विकल्पतः आरोप धारा–302 भा0दं0सं0,
थाना–दिबियापुर, जिला–औरैया।

UPAU010054442025

Presented on : 07-11-2025
Registered on : 07-11-2025
Decided on : 19-03-2026

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश / एफ.टी.सी.–प्रथम,
(महिलाओं के विरूद्ध अपराध) औरैया।
पीठासीन अधिकारी–अतीक उद्दीन (एच0जे0एस0)
समेकित सत्र परीक्षण संख्या–1321 / 2025,

उत्तर प्रदेश राज्य

..... अभियोजन पक्ष।

Digitally signed by ATEEQ UDDIN
Date: 2026.03.19 10:58:45 GMT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

प्रति

1–प्रमिला पत्नी पदम सिंह,
निवासिनी मोहल्ला राणानगर, दिबियापुर, थाना–दिबियापुर, जिला–औरैया।

..... अभियुक्ता।

मु0अ0सं0–851/2024,
धारा–85,80 बी.एन.एस.
व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0
एवं विकल्पतः आरोप धारा–302 भा0दं0सं0,
थाना–दिबियापुर, जिला–औरैया।

निर्णय

1– उपरोक्त दोनों प्रकरण एक ही घटना, समय व स्थान एवं एक ही वादी मुकमदा द्वारा प्रस्तुत तहरीर पर आधारित मुकदमा अपराध सं0–851/2024 से सम्बन्धित है एवं एक ही साक्ष्य के आधार पर जो साक्षियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, एवं अभियुक्ता प्रमिला के फरार होने के कारण उसके विरूद्ध अलग से आरोप पत्र सं0–96ए/2025 दिनांकित–31.07.2025 को पुलिस द्वारा प्रेषित किये जाने के बाद सत्र वाद सं0–1321/2025 प्रचलित होने के उपरान्त एवं उक्त वाद को सत्र परीक्षण संख्या–456/2025 राज्य बनाम निशान्त जैन उर्फ नीशू आदि की पत्रावली के साथ समेकित किये जाने एवं सत्र परीक्षण संख्या– 456/2025 राज्य बनाम निशान्त जैन उर्फ नीशू आदि की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली मानते हुये उक्त दोनो सत्र परीक्षणों को निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

2– अभियुक्तगण 1–निशान्त उर्फ नीशू पुत्र पदम चन्द्र, 2–पदमचन्द्र जैन पुत्र चन्द्रसेन जैन, निवासीगण मोहल्ला राणानगर, दिबियापुर, थाना–दिबियापुर, जिला–औरैया का विचारण इस **(लीडिंग पत्रावली)** सत्र परीक्षण सं0–456/2025 में मु0अ0सं0–851/2024, अर्न्तगत **धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एवं विकल्पतः आरोप धारा–302 भा0दं0सं0,** थाना–दिबियापुर जिला–औरैया के अपराध में थाना–दिबियापुर, पुलिस के द्वारा प्रेषित आरोप पत्र संख्या–96/2025 दिनांकित–28.02.2025 के आधार पर किया गया। एवं अभियुक्ता प्रमिला पत्नी पदम सिंह निवासिनी मोहल्ला राणानगर, दिबियापुर, थाना–दिबियापुर, जिला–औरैया का विचारण इस **(समेकित)** सत्र परीक्षण सं0–1321/2025 में

मु0अ0सं0–851/2024, अर्न्तगत **धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एवं विकल्पतः आरोप धारा–302 भा0दं0सं0,** थाना–दिबियापुर जिला–औरैया के अपराध में थाना–दिबियापुर, पुलिस के द्वारा प्रेषित आरोप पत्र संख्या–96ए/2025 दिनांकित–31.07.2025 के आधार पर किया गया।

3– संक्षेप में अभियोजन कथानक अनुसार इस प्रकार है कि–सूचनाकर्ता/वादी मुकदमा मुनीश कुमार की ओर से इस आशय की लिखित तहरीर प्रस्तुत की गयी कि– उसने अपनी पुत्री प्रान्सी की शादी निशान्त उर्फ नीशू निवासी राणा नगर दिबियापुर, थाना–दिबियापुर, जिला–औरैया के साथ 31 दिसम्बर 2021 को अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपनी जमीन बेंचकर शादी की थी। उसके द्वारा दिये गये दान उपहार से निशान्त उर्फ नीशू व लड़की की सास प्रमिला व ससुर पदम सिंह व ननद शिप्रा व चचिया ससुर रतन चद्र व चचिया ससुर का लड़का सुनील सन्तुष्ट नहीं थे और शादी की विदा से ही अतिरिक्त दहेज की मांग में एक चार पहिया की क्रेटा कार व दो लाख रूपये की मांग करने लगे। मेरी लड़की के दहेज न दे पाने की बात को कहने पर ये सभी लोग आये दिन मारपीट करके प्रताड़ित करने लगे। जब मेरी लड़की ससुराल से घर आती थी तो चार पहिया की क्रेटा कार व दो लाख रूपये व मारपीट कर प्रताड़ित करने की बात बताया करती थी। इस बीच में मैं व मेरी पत्नी लड़की की ससुराल जाकर ससुरालीजनों को काफी समझाया बुझाया परन्तु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और मेरे लड़की की मारपीट करके बराबर प्रताड़ित करते रहे। आज दिनांक–30.12.2024 को समय करीब 3:20 बजे शाम को मेरी लड़की अपने मो0नं0–7078573488 से मेरे फोन पर बात करके बताया कि मेरे पति व ससुरालीजन कार व पैसा न दे पाने के कारण मारपीट कर रहे है। तुम लोग जल्दी आ जाओ नहीं तो ये लोग हमें जान से मार डालेंगे। जब मैं व परिवार के लोग लड़की की ससुराल पहुंचे तो वहां जाकर देखा तो मेरी लड़की को इन लोगों ने फांसी लगाकर मार डाला था और सभी लोग घर से भाग गये थे। अतः रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

4– यथोक्त तथ्यों के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0–851/2024, अर्न्तगत **धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,** में थाना दिबियापुर, जिला औरैया में दिनांक–31.12.2024 को

समय 1:39 बजे अभियुक्तगण **निशान्त जैन उर्फ नीशू, प्रमिला, पदम सिंह, शिप्रा, रतनचन्द्र एवं सुनील** दर्ज हुआ, जिसका इन्द्राज नकल रपट रोजनामचा आम पर किया गया। विवेचक को विवेचना प्राप्त हुयी। विवेचक ने घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया व गवाहान के बयान लिये तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण निशान्त जैन उर्फ नीशू व पदमचन्द्र के विरूद्ध के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–96/2025 दिनांकित–28.02.2025 अन्तर्गत **धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** न्यायालय में प्रेषित किया। तथा अभियुक्ता **प्रमिला के विरूद्ध** आरोप पत्र संख्या–96ए/2025 दिनांकित–31.07.2025 **अन्तर्गत धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

5– मृतका प्रान्सी जैन की पोस्टमार्टम आख्या कागज सं0–21क/1 प्रदर्श क–5 निम्न प्रकार हैः–

मृतका प्रान्सी जैन पत्नी निशान्त जैन बेला रोड दिबियापुर, थाना दिबियापुर, जिला–औरैया उम्र 22 वर्ष के शव को सी0पी0 254 दिनेश कुमार एवं महिला आरक्षी 1247 रजनी थाना दिबियापुर जिला औरैया द्वारा लाया गया था।

मृतका के पहने हुये वस्त्रों का विवरणः– कुर्ती, सलवार, ब्रा, पजामी, ऐरोन रिंग, चूड़ियों के टुकड़े, पैन्टी, हेयर बैंड, तीन जोड़ी बिछिया आदि टोटल 11 आइटम थे।

मृतका प्रान्सी जैन पत्नी निशान्त जैन का दिनांक–31.12.2024 समय 2:20 ए.एम. पर शव विच्छेदन किया।

PM Staining Present Dependent Part of body & rigor mortis present on both upper and lower limbs and neck.

झिल्लियों, झिल्लियों के मध्य रिक्त स्थान तथा मस्तिष्क की रक्तवाहिनी कन्जेस्टेड थी। मस्तिष्क कन्जेस्टेड था। फेफड़ो की स्थिति कन्जेस्टेड था। फेफड़े कन्जेस्टेड थे, आमाशय में लगभग 100 ग्रमा पेस्टी भोजन उपस्थित था। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन उपस्थित था। बड़ी आंत में मल एवं गैस उपस्थित थी। यकृत पित्ताशय कन्जेस्टेड था, प्लीहा कन्जेस्टेड था। मूत्राशय और मूत्र वाहिनी खाली थी। मृत्यु का सम्भावित समय एक दिन पूर्व का था। मृतका

की बच्चेदानी खाली थी। मेरी राय में मृतका की मृत्यु का सम्भावित कारण फांसी के कारण स्वांश रूकने से हुयी थी। मृतका के शरीर के डिपेन्डेन्ट पार्ट में पी.एम. स्टेनिंग उपस्थित पायी गयी।

6– प्रकरण के विवेचक द्वारा प्रकरण की विवेचना की गयी तथा साक्षियो के बयान अर्न्तगत धारा–161 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किये गये तथा सम्पूर्ण विवेचना के उपरान्त तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर विवेचक ने घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया व गवाहान के बयान लिये तथा संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण निशान्त जैन उर्फ नीशू व पदमचन्द्र के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–96/2025 दिनांकित–28.02.2025 अन्तर्गत **धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** न्यायालय में प्रेषित किया। तथा अभियुक्ता **प्रमिला के विरूद्ध** आरोप पत्र संख्या–96ए/2025 दिनांकित–31.07.2025 **अन्तर्गत धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम** न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

7– अभियुक्तगण के उपस्थित होने पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.प्रथम औरैया द्वारा दिनांक–21.11.2019 को अभियुक्तगण निशान्त जैन उर्फ नीशू व पदमचन्द्र एवं प्रमिला के विरूद्ध **धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एवं विकल्पतः आरोप धारा–302 भा0दं0सं0 के** अर्न्तगत आरोप विरचित किया गया।

8– अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष की ओर से पांच साक्षी, अभियोजन साक्षी सं0–1 मुनीश कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–2 रेख देवी, अभियोजन साक्षी सं0–3 रोहित कुमार, अभियोजन साक्षी सं0–4 कां0 254 कौशलेन्द्र कुमार एवं अभियोजन साक्षी सं0–5 डा0 मनीष कुमार को प्रस्तुत किया गया।

9– अभियोजन प्रपत्रों को क्रमशः प्रदर्श क–1 लिखित तहरीर, पुलिस प्रपत्र सं0–211 प्रदर्श क–2, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–3, जी0डी0 प्रदर्श क–4, शव विच्छेन आख्या प्रदर्श क–5, चालान शव विच्छेन प्रदर्श क–6, नमून शील प्रदर्श

क–7, फोटो लाश प्रदर्श क–8, चलान शव विच्छेदन पुलिस फार्म नं0–33 प्रदर्श क–9, रिपोर्ट थाना दिबियापुर वास्ते शव विच्छेदन प्रदर्श क–10, प्रार्थनापत्र वादी प्रदर्श क–11, नक्शा नजरी प्रदर्श क–12, आरोप पत्र अभियुक्तगण निशान्त जैन उर्फ नीशू एवं पदम चन्द्र कागज सं0–3क/1 प्रदर्श क–13, एवं आरोप पत्र अभियुक्ता प्रमिला कागज सं0–3क/1 प्रदर्श क–14 अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रेषित हैं।

10– अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किये गये जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताया है एवं साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा, एवं पी0डब्लू0–2 मृतका की मां, एवं पी0डब्लू0–3 मृतका का चचेरा भाई के द्वारा दिये गये बयान को सही बताया है एवं पी0डब्लू0–4 को पुलिस कर्मचारी बताया है और गलत कार्यवाही करते हुये गलत बयान दिया है एवं पी0डब्लू0–5 डाक्टर के बारे में कहा है कि पोस्टमार्टम किया था उसी के अुनसार बयान दिया है। एवं झूंठा दबाव डालने के लिये मुकदमा चलना बताया गया है एवं अपने को निर्दोष बताते हुये सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया है।

11– मैने अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री चन्द्रभूषण तिवारी तथा अभियुक्तगण की ओर उनके विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सविस्तार सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

12– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर ज़िला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को दहेज के लिये मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और मृतका की फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दिया गया। मृतका की मृत्यु उसके विवाह होने के सात वर्ष के अन्दर सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में अभियुक्तगण के घर में ही हुई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 118 के अर्न्तगत यह उपधारणा की जायेगी कि अभियुक्तगण के द्वारा ही उसकी दहेज मृत्यु कारित की गयी है। अभियोजन पक्ष की ओर से पक्ष कथन के समर्थन में

न्यायालय के समक्ष पी0डब्लू0–1 के रूप में मुनीश कुमार वादी मुकदमा/मृतका का पिता परीक्षित हुआ है, उसने अभियुक्त निशान्त उर्फ नीशू के साथ मृतका का विवाह होने और सात वर्ष के अन्दर उसकी मृत्यु होना स्वीकार है, तथा अपने द्वारा दर्ज करायी गयी एफ.आई.आर. तहरीरी प्रदर्श क–1 को साबित किया है। पी0डब्लू0–2 के रूप में रेखा देवी/मृतका की मां, एवं पी0डब्लू0–3 के रूप में रोहित कुमार/मृतका का चचेरा भाई के रूप में परीक्षित हुये हैं, इन साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित किया गया है। पी0डब्लू0–4 के रूप में एच.सी. कां0–254 कौशलेन्द्र कुमार को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी ने चिक एफ.आई.आर. प्रदर्श क–3 एवं जी0डी0 प्रदर्श क–4 को साबित किया है। पी0डब्लू0–5 के रूप में डाक्टर मनीष कुमार जिसके द्वारा शव विच्छेदन किया गया है एवं शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया है एवं मृतका की मृत्यु फांसी पर लटकने से होना बताया है। और अन्य दस्तावेजों की सत्यता अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार कर ली गयी है और इन पर विधिवत प्रदर्श डाले जा चुके है और वे सभी दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य हैं। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध बी.एन.एस. की धारा–85,80 एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूपेण सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषसिद्धि कर दण्डित किये जाने योग्य हैं।

13– दूसरी ओर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि–अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के तीन साक्षी परीक्षित हुये है। तीनों साक्षियों ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया है। प्रतिपरीक्षा में भी इन साक्षियों ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है, जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो। मृतका के द्वारा अपने घर में अपनी बीमारी से परेशान होकर स्वयं फांसी लगाकर हत्या कर लिया गया है। अभियुक्तगण पूर्णतः निर्दोष हैं और मात्र अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता को स्वीकार कर लिये जाने और उन पर विधिवत प्रदर्श डाले जाने से तथा तथ्य के साक्षियों की साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नही हो सकती है। किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण की ओर से मृतका से अतिरिक्त दहेज में क्रेटा कार व दो लाख रूपये

की मांग किये जाने व उस दहेज के लिये प्रताड़ित व परेशान किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। किसी भी साक्षी ने अभियुक्तगण की ओर से मृतका से दहेज मांगने व दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने व परेशान करने व उसकी दहेज मृत्यु कारित करने का कोई साक्ष्य नहीं दिया है। पत्रावली पर मृतका की मृत्यु से शीघ्र पूर्व दहेज को लेकर प्रताड़ित किये जाने का भी कोई साक्ष्य नहीं है। जहां तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–118 के अर्न्तगत उपधारणा किये जाने का प्रश्न है तो वह उपधारणा तब दी जा सकती है जब अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध इस तथ्यों को साबित कराने में पूर्ण रूपेण सफल रहा हो कि अभियुक्तगण द्वारा मृतका से दहेज मांगा जाता था और उसे दहेज के लिये प्रताड़ित किया गया था तथा उसकी मृत्यु से शीघ्र पूर्व मृतका को दहेज के सम्बन्ध में प्रताड़ित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में इस तथ्यों को अभियोजन पक्ष की ओर से साबित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध बी0एन0एस0 की धारा–85, 80 एवं धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूपेण असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

14– प्रस्तुत प्रकरण में प्रभावी एवं न्यायपूर्ण विनिश्चय के लिये बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा–393 के अर्न्तगत यथा अपेक्षित निम्न निर्धारण बिन्दु विरचित किये जाते हैं–

1– क्या मृतका की शादी के दिनांक–31.12.2021 के बाद से मृत्यु दिनांक–30.12.2024 के बीच स्थान मकान अभियुक्तगण स्थित ग्राम राणानगर दिबियापुर, थाना दिबियापुर, जिला–औरैया में अभियुक्तगण ने मृतका प्रान्सी से अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया?

2– क्या उपरोक्त समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने मृतका को उसकी शादी के 07 वर्ष के अन्दर बराबर अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर उसको फांसी लगाकर उसकी दहेज मृत्यु कारित की और उसको

उसकी मृत्यु से शीघ्र पूर्व उक्त दहेज के लिये प्रताड़ित किया?

3– क्या उपरोक्त समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने मृतका को फांसी लगाकर उसकी हत्या कारित की?

उपरोक्त निर्धारण बिन्दुओ व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों के प्रकाश में उपरोक्त विरचित बिन्दुओं के निस्तारण हेतु अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

निर्धारण बिन्दु सं0–1 लगायत 3 का निस्तारण

15– उभय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों को सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त विरचित निर्धारण विन्दुओं पर इस न्यायालय का निष्कर्ष इस प्रकार हैः–

चूँकि निर्धारण विन्दु सं0–1 लगायत 3 एक ही साक्ष्य से निर्णीत हो सकते हैं और एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, अतः सुविधा की दृष्टि से इन तीनों निर्धारण विन्दुओं को एक साथ निर्णीत किया जा रहा है।

16– अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन कथानक के समर्थन में मैनें सर्वप्रथम **पी0डब्लू0–1 के रूप में सूचनाकर्ता/ (वादी मुकदमा) मुनीश कुमार** की साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया जो सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है। इस साक्षी ने सशपथ बयान किया है कि–इस मुकदमें की मृतका प्रान्सी मेरी पुत्री थी। मैने प्रान्सी की शादी निशान्त उर्फ नीशू पुत्र पदम जैन निवासी मो0 राणानगर कस्बा व थाना दिबियापुर जिला औरैया के साथ दिनांक–31.12.2021 को अपनी हैसियत के अनुसार सामान रूपया व उपहार देकर सम्पन्न किया था। शादी के बाद पुत्री विदा होकर ससुराल गयी, ससुराल वालों ने पुत्री को सकुशल रखा। कभी क्रेटा कार व दो लाख रूपया की मांग नहीं किया और न ही मेरी पुत्री को ससुरालीजन पति निशान्त उर्फ नीशू, सास प्रमिला, ससुर पदम सिंह व ननद शिप्रा व चचिया ससुर रतनचन्द्र व चचिया ससुर के लड़के सुनील ने दिनांक 30.12.2024 को फांसी लगाकर मार डाला था। गवाह को पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–4क/4 तहरीर प्रार्थनापत्र को दिखाया गया तो गवाह ने उस पर बने अपने मात्र हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पुलिस को मैने कोई बयान नहीं दिया था और न पुलिस के घटना वाली जगह दिखायी, पुलिस ने पुत्री प्रान्सी का

पंचायतनामा भरा था और उसके शव को सील मोहर किया था। पंचायतनामा पर मेरे हस्ताक्षर कराये थे। पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–20क गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने उस पर बने अपने मात्र हस्ताक्षर की पहचान किया जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।

इस साक्षी की मुख्य परीक्षा का मैने सम्यक परिशीलन किया। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार से दान दहेज मांगे जाने व प्रताड़ित किये जाने का साक्ष्य भी नहीं दिया है, लेकिन इस साक्षी ने तहरीर प्रदर्श क–1 व पंचायतनामा प्रदर्श क–2 को साबित किया है। मैने इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का भी सम्यक परिशीलन किया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो।

17– **पी0डब्लू0–2 के रूप में रेखा देवी (मृतका की मां)** की साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि–मैने अपनी पुत्री प्रान्सी उर्फ प्रियांसी की शादी निशान्त उर्फ नीशू निवासी मोहल्ला राणानगर बेला रोड, कस्बा व थाना दिबियापुर, जिला औरैया के साथ दिनांक–14.12.2021 को की थी। शादी में मैने व मेरे पति ने अपनी हैसियत के अनुसार सामान व रूपया देकर की थी। शादी के बाद मेरी पुत्री प्रान्सी से उसके पति निशान्त उर्फ नीशु, ससुर पदम सिंह, सास प्रमिला, ननद शिप्रा व रतन चन्द्र व सुनील कुमार ने कभी प्रताड़ित नहीं किया और न कभी दो लाख रूपये व क्रेटा कार मांगी, न मैने पुलिस को कोई बयान दिया।

इस साक्षी की मुख्य परीक्षा का मैने सम्यक परिशीलन किया। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार से दान दहेज मांगे जाने व प्रताड़ित किये जाने का साक्ष्य भी नहीं दिया है। मैने इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का भी सम्यक परिशीलन किया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो।

18– **पी0डब्लू0–3 के रूप में रोहित कुमार** की साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि–

इस मुकदमें की मृतका प्रान्सी उर्फ प्रियांसी मेरी बहिन थी। उसकी शादी निशान्त उर्फ नीशू पुत्र पदम सिंह निवासी मुहल्ला राणानगर कस्बा व थाना दिबियापुर जिला औरैया के साथ दिनांक–14.12.2021 को की गयी थी। प्रान्सी उर्फ प्रियांसी मेरी चचेरी बहिन थी। प्रान्सी उर्फ प्रियांसी के पति निशान्त उर्फ नीशू, सास प्रमिला, ससुर पदम सिंह, ननद शिप्रा, चचिया ससुर रतनचन्द्र व इनका लड़का सुनीन ने कभी दहेज में क्रेटा कार व दो लाख रूपये नहीं मांगा न ही प्रताड़ित किया और न मारा–पीटा। न ही पुलिस को मैने बयान दिया था। गवाह को 161 दं0प्र0सं0 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा यह बयान मैने पुलिस को नहीं दिया था।

इस साक्षी की मुख्य परीक्षा का मैने सम्यक परिशीलन किया। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अभियुक्तगण द्वारा किसी भी प्रकार से दान दहेज मांगे जाने व प्रताड़ित किये जाने का साक्ष्य भी नहीं दिया है। मैने इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का भी सम्यक परिशीलन किया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो।

19– पी0डब्लू0–4 के रूप में हेड कां0 254 कौशलेन्द्र कुमार की साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि– मैं दिनांक 31.12.2024 को थाना दिबियापुर जनपद औरैया पर एच. सी. 254 के पद पर थाना कार्यालय में कार्यलेख पर तैनात था। उसी दिनांक को वादी मुकदमा मुनीश कुमार ने एक तहरीरी प्रार्थनापत्र एफ.आई.आर. पंजीकृत करने हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत किया था। मैने तहरीर प्रार्थनापत्र को प्रभारी निरीक्षक के मौखिक आदेश पर शब्द ब शब्द बोलकर सी.सी.टी.एन.एस पर तैनात कां0 से एफ. आई.आर. टाइप कराकर मु0अ0सं0–851/2024 बनाम निशान्त उर्फ नीशू आदि धारा–85,80 बी.एन.एस. व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कायम किया था। मेरे द्वारा पंजीकृत करायी गयी एफ.आई.आर. संलग्न पत्रावली कागज सं0–4क/1 के रूप में मेरे सामने है जिसपर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर है जिसकी पहचान व पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। इस प्रक. रण का खुलासा मैने एक ही प्रक्रिया में बोल–बोलकर सी.सी.टी.एन.एस कर्मी उपरोक्त से टाइप कराया था। वह कम्प्यूटरीकृत कायमी जी0डी0 पत्रावली पर

संलग्न कागज सं0–6क/1 के रूप में मेरे सामने है जिसकी पहचान व पुष्टि करता हूं। जिस पर **प्रदर्श क–4** डाला गया।

इस साक्षी की मुख्य परीक्षा का मैने सम्यक परिशीलन किया। यह साक्षी औपचारिक साक्षी है। इस साक्षी ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट को प्रदर्श क–3 के रूप में एवं जी0डी0 को प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। मैने इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा का भी सम्यक परिशीलन किया। इस साक्षी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे उसके द्वारा साबित करायी गयी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट व कायमी जी0डी0 मिथ्या साबित हो।

20– पी0डब्लू0–5 के रूप में डा0 मनीष पुरवार की साक्ष्य का मैनें सम्यक परिशीलन किया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि– दिनांक 31.12.2024 को मेरी ड्यूटी पी0एम0 हाउस में थी। उक्त दिनांक को मृतका प्रान्सी जैन पत्नी निशान्त जैन बेलारोड औरैया उम्र 22 वर्ष का पी0एम0 मेरे एवं दूसरे डाक्टर संजीव कुमार के साथ के साथ 2:00 बजे से 2:40 पी0एम0 तक दिनांक–31.12.2024 को किया गया था। शव को लेकन सी0पी0 254 दिनेश कुमार व महिला कां0 1274 रजनी थाना दिबियापुर लेकर आये थे। मृतका के शरीर पर कुर्ती, सलवार, इनर, पाजामी, रिंग, चूड़ियों के टुकड़े, पैन्टी, विछिया तीन जोड़ी आदि टोटल 11 वस्तुएं उपस्थित थीं। मृतका की बनावट सामान्य कद काठी, लम्बाई 152 सेमी0, आंखे बन्द व कन्जस्टेड थी। मृतका के गर्दन पर फंदे का निशान उपस्थित था जो कि 22.5 x 3 सेमी0 था। यह निशान बांयी गर्दन के ऊपर ठोढी के नीचे था। फंदे के नीचे उपस्थित ऊतक कठोर था। गर्दन के नीचे उपस्थित ऊतक कठोर था किसी तरह के चोट के निशान उपस्थित नहीं थे व शरीर पर कोई अन्य घाव उपस्थित नहीं थे, मृतका के सिर में चोट उपस्थित नहीं थी। मष्तिष्क की झिल्लियां, फेफड़े, प्लीहा, लीवर, किडनी, लंग कन्जेस्टेड थे व हरमन चेम्बर ब्लाक थे, मृतका के आंत में लगभग 100 ग्राम पचा भोजन उपस्थित था। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन व गैस उपस्थित थी। बड़ी आंत में मल एवं गैस उपस्थित थी। मृतका की बच्चेदानी खाली थी। मेरी राय में मृतका की मृत्यु का सम्भावित कारण फांसी के कारण स्वांश रूकने से हुयी थी। मृतका के शरीर के डिपेन्डेन्ट पार्ट में पी.एम. स्टेनिंग उपस्थित थी। यह पी0एम0 रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। मृतका के गले में व अन्य कोई

शरीर पर चोट नहीं थी और यह चोट मृतका द्वारा मृत्यु के पूर्व लटकने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। यह सही है कि कि मृतका ने स्वयं लटकी है उसे किसी के द्वारा लटकाना प्रतीत नहीं होता।

इस साक्षी की मुख्य परीक्षा का मैने सम्यक परिशीलन किया। यह साक्षी पोस्टमार्टम कर्ता साक्षी है। इस साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी के अलावा अन्य कोई चोट मृतका के शरीर पर नहीं पायी गयी है, मृतका का फांसी पर लटकने की मृत्यु होना दर्शित है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मृतका के गले में व अन्य कोई शरीर पर चोट नहीं थी और यह चोट मृतका द्वारा मृत्यु के पूर्व लटकने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। यह सही है कि कि मृतका ने स्वयं लटकी है उसे किसी के द्वारा लटकाना प्रतीत नहीं होता। उपरोक्तानुसार इस साक्षी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है जिससे अभियोजन कथानक का समर्थन होता हो।

अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल दस्तावेजों की सत्यता स्वीकार कर ली गयी है और उन पर विधिवत प्रदर्श भी डाले जा चुके हैं, लेकिन तथ्य के साक्षियों की साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं हो सकती है।

इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में तथ्य के सभी महत्वपूर्ण साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने के बाद अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यता स्वीकार कर लिया गया तथा उन पर विधिवत प्रदर्श डाले गये तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा अपने आध्य या शूक्ष्म हस्ताक्षर किये गये। इस प्रकार ये दस्तावेज साबित हुये माने गये, लेकिन इन दस्तावेजों को साबित हुये माना जाने के उपरान्त भी अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि तथ्य के सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है और न ही अभियुक्तगण द्वारा दहेज में क्रेटा कार व दो लाख रूपये की मांग करने के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है और न ही दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने की कोई साक्ष्य दी गयी है। ऐसी स्थिति में दस्तावेजों की सत्यता स्वीकार कर लिये जाने के आधार पर अभियुक्तगण की दोषसिद्धि नहीं हो सकती।

जहां तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा–118 के अर्न्तगत उपधारणा किये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में उपधारणा तभी की जा सकती है

जब अभियोजन पक्ष की ओर से यह साबित कर दिया जाये कि–

1– मृतका के विवाह होने के सात वर्ष के अन्दर ही उसकी सामान्य परिस्थितियों से भिन्न परिस्थितियों में मृत्यु हो गयी।

2– मृतका से दहेज की मांग की जाती थी और दहेज के लिये उसे प्रताड़ित किया जाता था।

3– मृतका को उसकी मृत्यु से शीघ्र पूर्व व दहेज के सम्बन्ध में प्रताड़ित किया गया हो।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से सभी आवश्यक तत्व दहेज मृत्यु के साबित नहीं होते है। ऐसी स्थिति में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा–118 के अर्न्तगत अभियुक्तगण के विरूद्ध यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि अभियुक्तगण द्वारा ही दहेज मृत्यु कारित की गयी। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर अन्य कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

जहां तक अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आरोप का प्रश्न है कि दिनांक–30.12.2024 को मृतका प्रान्सी उर्फ प्रियांशी को फांसी पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी गयी। इस सम्बन्ध में भी किसी साक्षी ने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक–30.12.2024 को मृतका प्रान्सी उर्फ प्रियांसी को फांसी पर लटका कर उसकी हत्या कर दी हो। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष की ओर से मृतका की ससुराल अथवा घटनास्थल के पास का कोई ऐसा साक्षी भी परीक्षित नहीं कराया गया है, जिसने घटना देखी हो या अभियुक्तगण व मृतका को अन्तिम बार साथ–साथ देखा गया हो और अभियुक्तगण का हेतु दहेज मांगा जाना था। अभियोजन पक्ष की ओर जो साक्षी परीक्षित कराये गये हैं वे घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, उन्होंने अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या करते हुये नहीं देखा है। हत्या के सम्बन्ध में यह प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सभी कड़ियों को भी अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य से युक्तियुक्ति संदेह से परे साबित नहीं कराया है।

21– अभियुक्तगण ने अपने बयान अर्न्तगत धारा–313 दं0प्र0सं0 में घटना को पूर्णतः गलत बताया है और यह कहा है कि शादी बिना दान दहेज के हुयी थी, लोगों के बहकाने के आधार पर मुनीश कुमार ने झूंठी रिपोर्ट अंकित करायी थी। हम निर्दोष हैं।

वादी/सूचनाकर्ता मुनीश कुमार पुत्र रामबाबू द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी और उसमें अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किये जाने का उल्लेख किया था और अन्वेषण के दौरान भी उसने अभियुक्तगण के विरूद्ध बयान दिया था एवं अभियुक्तगण की अपराध में संलिप्तता बतायी थी, लेकिन न्यायालय के समक्ष वह शपथ पर सत्य बात करने के लिये आबद्ध था और उसने न्यायालय के समक्ष अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार उसने न्यायालय के समक्ष जानबूझकर मिथ्या साक्ष्य दिया है, जिससे उसके विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या बी.एन.एस.एस., 2023 की धारा–383 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध बनता है।

22– उपरोक्त विवेचित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध बी0एन0एस0 की धारा–85,80 व धारा–4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एवं विकल्पतः आरोप धारा–302 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध को आरोप को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूपेण असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं। तद्नुसार निर्धारण बिन्दु सं0–1, 2 व 3 निस्तारित किये जाते हैं।

आदेश

अभियुक्तगण निशान्त जैन उर्फ नीशू पुत्र पदम चन्द्र जैन व पदम चन्द्र जैन पुत्र चन्द्रसेन जैन निवासीगण मोहल्ला राणा नगर, दिबियापुर, थाना व जिला दिबियापुर को सत्र परीक्षण सं0–456/2025 मुकदमा अपराध संख्या–851/2024 में बी0एन0एस0 की धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एवं विकल्पतः आरोप धारा–302 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप से एवं अभियुक्ता प्रमिला पत्नी पदम चन्द्र जैन निवासिनी मोहल्ला राणा नगर, दिबियापुर, थाना व जिला दिबियापुर को सत्र परीक्षण सं0–1321/2025 मुकदमा अपराध संख्या–851/2024 में बी0एन0एस0 की धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एवं विकल्पतः आरोप धारा–302 भा0दं0सं0 के अर्न्तगत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण के स्वीय बन्धपत्र एवं जमानत प्रपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 का अनुपालन अन्दर सप्ताह

किया जाये।

साक्षी/सूचनाकर्ता/ वादी मुकदमा मुनीश कुमार पुत्र रामबाबू निवासी ग्राम पुर्वा फकीरे, थाना–सहायल, जिला–औरैया के विरूद्ध दण्ड प्रकीर्ण पृथक से दर्ज कर उसके विरूद्ध इस आशय का नोटिस निर्गत किया जाये कि क्यों न उसे बी.एन.एस.एस. 2023, की धारा–383 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध के लिये संक्षिप्त प्रक्रिया के अनुसरण पर दण्डित किया जाये।

इस निर्णय/आदेश की मूल प्रति लीड़िंग पत्रावली में रखी जाये एवं एक प्रति समेकित सत्र परीक्षण सं0–1321/2025 मुकदमा अपराध संख्या–851/2024 राज्य बनाम प्रमिला अर्न्तगत धारा–85,80 बी.एन.एस. व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एवं विकल्पतः आरोप धारा–302 भा0. दं0सं0 थाना दिबियापुर जिला औरैया की पत्रावली में रखी जाये।

दिनांक–19.03.2026

(अतीक उद्दीन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0–प्रथम,(महिलाओं के विरूद्ध अपराध)
औरैया।
JO Code NO. UP 1533,

यह निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–19.03.2026

(अतीक उद्दीन)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0–प्रथम,(महिलाओं के विरूद्ध अपराध)
औरैया।
JO Code NO. UP 1533,